लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

25/2024 तारीखरजू:-23/5/24

उनवानः— मोहनसिंह बनाम हनुमान सहाय
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क	फर्द अहकाम
5/24	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री कृष्ण कान्त मित्तल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **उभयपक्ष आगामी पेशी** तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 111/691/0.04, 112/0.30, 124/1.56, 466/0.29, 467/0.01, 468/0.58, 469/0.57, 465/0.55, 545/0.10, 557/0.25, स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा बेचान नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ—साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो। 3158-62 23/5/24

Signature Not Verified

Digitally Signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर

दिनांक	फर्द अहकाम
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न० 1 लगा० 3 के नोटिस तामील डावे की पत्रावली मे परिवारजनो एवं स्वंय से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजूद सूचना कोई उप० नही हुआ। इसलिए उक्त के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है एवं अप्रार्थी न० 4, 5 पैरोकार सरकार उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 16.7.24 को पेश हो।
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 20.8.24 को पेश हो।
20/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित, प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/8/24 [illegible]
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित [illegible] प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। [illegible] व अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested